जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नूरपुर दिनाँक-16.09.2026

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 330/2026 धारा 303(2 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तो को चोरी की गई स्पैलन्डर मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2026 को वादी मौ0 सलमान पुत्र रईशुद्दीन निवासी अब्दुल्ला नगर डांडा जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की नूरपुर स्थित मेडिकल स्टोर से स्पेलंडर बाइक चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 330/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त घटना में अभियुक्तगण 1. अनिल सिंह पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2. लव कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया जिन्हे मुखबिर की सूचना पर चोरी की गई मो0सा0 स्पेलेंडर (रंग काला) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अनिल सिंह पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.लव कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम झीरन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

1.अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 330/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी

1. एक स्पैलन्डर प्लस मोटर साईकिल रंग काला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि. श्री यशवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2. का0 2035 असलम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3. का0 2027 विपुल यादव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.रि.का. 3056 मनीष चौहान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

5.रि.का. 2679 सूरज चौधरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट जनपद बिजनौर **दिनांक 16.09.2026**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी 03 अभियुक्तो को भिन्न-भिन्न कारावास व कुल 32,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक **15.08.2024** को वादी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री को उसके पति संदीप कुमार पुत्र ब्रजपाल निवासी कागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर व उसके पिता व माता द्वारा वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताडित किया जा रहा था तथा दिनांक 13.08.2024 को वादी की पुत्री की उसकी ससुराल में संदिग्ध अवस्था मे मृत्यु हो गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 400/2024 धारा 80(2)/85 बीएनएस व धारा ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही होने के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तो के विरुद्ध **आरोप पत्र** तैयार कर नियमानुसार **माननीय न्यायालय प्रेषित** किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.09.2026 को **माननीय न्यायालय ए0डी0जे0- एफ0टी0सी0-1, जनपद बिजनौर** द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त 1.संदीप उपरोक्त को आजीवन कारावास व 24,000/- रूपये के अर्थदण्ड व अभियुक्तगण 2.ब्रजपाल सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह व 3.प्रमोद देवी पत्नी ब्रजपाल सिंह को 02-02 वर्ष के कारावास व कुल 08,000/- रूपये अर्थदण्ड (प्रत्येक को 04-04 हजार रूपये) से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

1. संदीप कुमार पुत्र ब्रजपाल निवासी रायपुर मलूक उर्फ कागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. ब्रजपाल सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह निवासी रायपुर मलूक उर्फ कागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. प्रमोद देवी पत्नी ब्रजपाल सिंह निवासी रायपुर मलूक उर्फ कागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक 16.09.2026**

थाना को0शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 736/2026 धारा 109(1)/352/351(2) बी0एन0एस0 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.09.2026 को वादी राजीव गिरी पुत्र प्रेमपाल गिरी निवासी ग्राम गंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम गंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की गर्दन पर चारा काटने की दाँती से जान से मारने की नीयत से वार करने, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 736/2026 धारा 109(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजू पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर नगीना रोड़ पर नसीरी गांव को जाने वाले तिराहे के पास घटना में प्रयुक्त एक दराती (लोहा) को बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त राजू ने बताया कि वह पिछले काफी समय से राजीव के ट्रैक्टर पर लेबर का काम करता है। राजीव उसकी पत्नी के संबंध में उल्टी-सीधी बातें कर उसे चिढ़ाता था, जिससे वह काफी गुस्से में था और उसने राजीव को सबक सिखाने की ठान ली थी। दिनांक 14.09.2026 को मोहित पेपर मिल से वापस आते समय नगीना रोड पर ट्रैक्टर के टूल बॉक्स से दरांती निकालकर राजीव की गर्दन पर वार कर दिया तथा ट्रैक्टर से कूदकर भाग गया। भागते समय दरांती को ग्राम नसीरी जाने वाले तिराहे के पास एक पेड़ के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजू पुत्र चन्द्रपाल सिंह नि0 दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त एक दराती लोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 संजीव कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1491 संदीप थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 2040 रजत थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद **दिनांक 16.09.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा चोर को मय चोरी किये गये बिजली के तार के साथ किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण एवं कार्यवाही-

दिनांक 14.09.2026 को वादी पुलकित सिंघल पुत्र श्री आलोक सिंघल नि0 जाफ्तागंज कोटद्वार रोड नजीबाबाद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के गन्ना क्रेशर में घुसकर क्रेशर में लगी सभी बिजली की तार काटकर चोरी कर लिये गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 457/2026 धारा 305/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त आशु पुत्र फरीद निवासी मौ0 जरूफसाजन कस्बा सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त आशु उपरोक्त को 01 अदद प्लास्टिक का सफेद-पीला कट्टा, जिसमें करीब 17–18 किलोग्राम जली हुई पीली धातु की तार, जो जलने के उपरांत भूरी रंगत की दिख रही है व एक कुल्हाडी जिसमें लकडी का हत्था लगा है सहित गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग मे माल बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

नजीबाबाद पुलिस द्वारा उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त से पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा शक्ति उद्योग साहनपुर, हरिद्वार बाईपास, साहनपुर स्थित क्रेशर से विद्युत तार चोरी किए गए थे। चोरी किए गए समस्त तारों को वह क्रेशर के सामने स्थित बैंगन के खेत में बीच में पड़ी झोपड़ी के पास ले गया, जहां तारों को जला दिया तथा जलने के बाद निकले तांबे के तार को वहीं पास में छिपाकर रख दिया।

अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा यह भी बताया गया कि करीब 15 दिन पूर्व वह कोटद्वार रोड, नजीबाबाद स्थित पूर्व कत्था उत्पादन फैक्ट्री में दोपहर लगभग 02 बजे अंदर घुस गया था तथा वॉशरूम-बाथरूम से पानी की टोटी, उसकी फिटिंग एवं विद्युत तार चोरी किए थे। अभियुक्त के अनुसार चोरी किए गए उक्त सामान को उसने चलते-फिरते कबाड़ी को लगभग ₹2,800/- में बेच दिया था तथा प्राप्त धनराशि से घरेलू सामान खरीद लिया। अभियुक्त द्वारा क्रैसर में रखी खोई के बोंगे में आग लगाने की बात भी बताई गई है।

उक्त घटना के संबंध में दिनांक 30.08.2026 को थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 426/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताए गए तथ्यों के आधार पर चोरीशुदा माल की बरामदगी तथा अन्य आवश्यक विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशु पुत्र फरीद निवासी मो0 जरूफसाजन कस्बा सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद प्लास्टिक का सफेद-पीला कट्टा, जिसमें करीब 17–18 किलोग्राम जली हुई पीली धातु की तार, एक अदद कुल्हाडी

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0-426/2026 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0-457/2026 धारा 305/324(4) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 कुलवीर सिह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हे0का0 643 विजय कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का0 2409 सुजल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. का0 2458 रुपेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रैस नोट - थाना स्योहारा   दिनांक- 16.09.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0361/2026 धारा 74/126(2)/ 351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.09.2026 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई कि कासिम सैफी पुत्र मुन्ने खाँ ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को स्कूल जाते समय रास्ते में जोर-जबरदस्ती की गई तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0361/2026 धारा 74/126(2)/ 351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0361/2026 धारा 74/126(2)/ 351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के में वांछित अभियुक्त कासिम सैफी पुत्र मुन्ने खाँ निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

कासिम सैफी पुत्र मुन्ने खाँ निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जिला बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 297 नीटू राणा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3.हे0का0 193 राजू दिवाकर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4.का0 2368 लोकेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रैस नोट - थाना स्योहारा **दिनाँक – 16.09.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0360/2026 धारा 333/352/351(3) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2026 को श्रीमति कमलेश पत्नि विनीराम निवासी ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1. रोहित पुत्र चन्द्रपाल नि0 ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर मे घुसकर वादिया की बछिया के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया तथा अभियुक्त रोहित व उसके परिजन 2. चन्द्रपाल पुत्र नामालूम, 3. छोटू पुत्र चन्द्रपाल निवासीगण ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 360/2026 धारा 333,115(2),352, 351(3) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 में पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

कार्यवाही-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 360/2026 धारा 333,115(2),352, 351(3) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधि0 से संबंधित अभियुक्त रोहित पुत्र चन्द्रपाल नि0 ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर सम्बन्धित को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

रोहित पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.हे0 का0 796 नवीन चन्द्र जोशी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद दिनांक – 16.09.2026

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 461/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 15.09.2026 को वादिनी खुर्शीदा पत्नि नौशाद अहमद निवासी ग्राम राहतपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त गौरव पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम पूरनपुर गढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा प्रार्थिनी के पति नौशाद अहमद की गोली मालकर हत्या कर दी गयी।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 461/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम गौरव उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

कार्यवाही विवरण-

उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त गौरव पुत्र होरी सिंह निवासी पुरनपुर गढ़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के द्वारा स्वंय आला कत्ल (02 अवैध तमंचे ,07 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर) के थाना उपस्थित आकर आत्मसमर्पण किया गया जिसको पुलिस हिरासत मे लिया गया तथा घटना स्थल के निरीक्षण दौरान 02 खोखा कारतूस बरामद हुये एव बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि करीब 04 माह पूर्व उसने एक युवती को तालिब नामक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था, जिसकी जानकारी उसने युवती के भाई को दी थी। अभियुक्त के अनुसार उसे जानकारी हुई कि तालिब, सौपुरी निवासी शिक्षक नौशाद से मिलता-जुलता था तथा उसे संदेह था कि नौशाद ही तालिब को युवती से बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है। अभियुक्त द्वारा युवती को तालिब से बातचीत न करने के लिए समझाया गया था। करीब 04 दिन पूर्व नौशाद ने उसे उक्त प्रकरण से दूर रहने के लिए कहा तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर धमकी दी, जिससे अभियुक्त के मन में नौशाद के प्रति रंजिश हो गई।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि दिनांक 15.09.2026 को वह तमंचा व कारतूस लेकर नौशाद के स्कूल के बाहर पुलिया के पास पहुंचा तथा नौशाद के बाहर निकलते ही उस पर फायर किए। नौशाद के स्कूल के अंदर भाग जाने पर

अभियुक्त मौके से फरार हो गया। बाद में थाना नजीबाबाद पहुंचकर अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र होरी सिंह निवासी पुरनपुर गढ़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-461/2026 धारा-103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0-134/2024 धारा 392/411 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

3. मु0अ0स0-452/2024 धारा 392/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

1.02 अवैध तमंचे ,07 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

2.02 खोखा कारतूस (घटना स्थल से फिल्ड यूनिट द्वारा प्राप्त)

3.01 स्पैण्डर प्लस मोटरसाइकिल रजि न0- UP20CK0770

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम----

1.उ0 नि0 अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.का0 994 गौरव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर